तारीख	प्रकरण संख्या 56/2023 जीसीएमएस नम्बर 2023/109 अनवान सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक बनात प्रो. गीता गैस एजेन्सी, पाली हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.03.2025	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ने हस्तगत प्रकरण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत मैसर्स गीता गैस एजेन्सी में भण्डारण के दौरान अनियमितता एवं स्टॉक रजिस्टर, गेट पास में अन्तर पाये जाने पर उसे जब्त कर प्रकरण पेश किया गया। जबकि घरेलु गैस सिलेण्डरों को अवैध रूप से व्यवसायिक उपयोग संग्रहण एवं भण्डारण कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 के क्लॉज 3ए.सी की अवहेलना करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत प्रकरण पेश किये जाने के प्रावधान है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में ऐसे कोई तथ्य अंकित नहीं किये है जिससे यह जाहिर हो सके कि अप्रार्थी ने घरेलु गैस सिलेण्डरों के सम्बन्ध में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के नियमों की अवहेलना की हों। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में केवल अप्रार्थी के गोदाम में भण्डारण के दौरान पाई गयी अनियमितता का उल्लेख किया है, जिसकी कार्रवाई प्रार्थी को ही अपने कार्यालय स्तर से की जानी थी इसलिये प्रकरण में न्यायालय स्तर से कोई कार्रवाई किया जाना अपेक्षित नहीं होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। साथ ही प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वे कार्यालय स्तर पर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है और सम्बन्धित फर्म की जांच के दौरान यदि प्रकरण न्यायालय में पेश किये जाने योग्य पाया जाता है तो वह प्रकरण नये सिरे से पेश करने हेतु स्वतंत्र है। निर्णय की सत्यप्रति सम्बन्धित को पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर इस न्यायालय के नम्बर से कम हो। अति. जिला कलक्टर, पाली अति. जिला कलक्टर, पाली	